संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 16-09-2021**

आज दिनांक 16.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी में वाँछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के मार्गदर्शन में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक धनघटा श्री अनिल कुमार दुबे के नेतृत्व प्रभारी बिड़हरघाट उ0नि0 श्री अरुण कुमार पाण्डेय द्वारा मु0अ0सं0 425 / 2021 धारा 379 / 411 भादवि में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 1 - विकास पुत्र दिलीप 2 – राजेश पुत्र शिवकुमार निवासीगण चपरापूर्वी चमरौटी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ बिड़हरघाट पुल से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1 - विकास पुत्र दिलीप निवासी चपरापूर्वी चमरौटी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

2 – राजेश पुत्र शिवकुमार निवासी करमा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

विवरण – दिनांक 26.08.2021 को थाना धनघटा पर वादी श्री प्रविन्द पुत्र रामवृक्ष निवासी माल्हेपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा अपनी अपाची मो0साइकिल चोरी होने के संबन्ध में थाना धनघटा अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना उ0 नि0 श्री अरुण कुमार पाण्डेय द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 16.9.2021 को प्रभारी चौकी बिड़हरघाट मय हमराहियान के साथ अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु बिड़हरघाट पुल पर वाहन चेकिंग किया जा रहा था की जरिए मुखबिर की सूचना मिली कि 02 व्यक्ति अपाचे मो0 साइकिल (रजि0नं0- यूपी 58 आर 3895) लेकर नेतवापुर मार्ग से बिड़हरघाट पुल की तरफ आ रहे है चौकी प्रभारी द्वारा उन्हें रोकने का इशारा किया गया तो भागने लगे जिसे हमराहियों द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया।

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ था कि अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हमलोग के द्वारा दिनांक 23.08.2021 को सुबह चपरापुर्वी चमरौटी बन्धे पर बिना लॉक के खड़ी मो0साइकिल को लेकर भाग गये थे तथा उसमें लगे नंबर प्लेट को निकाल कर फेंक दिये है आज हम लोग मो0 साइकिल को जनपद अम्बेडकरनगर की तरफ बेचने जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा हम लोग पकड लिये गये।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री अरूण कुमार पाण्डेय प्रभारी चौकी बिड़हरघाट, हे0कां0 रामप्रीत, कां0 पियूष कुमार, कां0 राजू गौड़ कां0 संदीप कुमार कां0 शैलेश यादव।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1- रामलखन पुत्र मिठाईलाल 2 – रामनरायण पुत्र रामअचल निवासीगण भगौसा थाना बेलहकला जनपद संतकबीरनगर को 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहकला पर क्रमशः मु0अ0सं0 270 / 2021 व 271 /2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 श्री अमर सिंह, उ0नि0 श्री रामसूरत यादव, हे0कां0 अर्जुन कुमार, हे0कां0 राजनाथ, हे0कां0 उदयनरायण यादव, कां0 ओमवीर सिंह।

संतकबीरनगर पुलिस

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत धनघटा से इवेन्ट संख्या 10897 से मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 06 में घटना स्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस वाहन से अस्पताल भेजवाया गया तथा दुर्घटनागस्त वाहन को थाना धनघटा पहुंचाया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 दिनेश यादव, आ0 जयप्रकाश कुशवाहा, हो0गा0चा0 दिनेशचन्द।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 91 वाहनो से 73000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.08.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 91 वाहनो से 73000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।